Date : 9 जून 2023

उन्नत और उच्च प्रभाव अनुसंधान मिशन'(माहिर)

सिलेबस: जीएस 3 / अर्थव्यवस्था, ऊर्जा

संदर्भ-

- **सरकार ने बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने और देश को एक विनिर्माण केंद्र के रूप में** स्थापित करने के लिए 'उन्नत और उच्च प्रभाव अनुसंधान मिशन' (माहिर) **की शुरुआत की है।**

प्रमुख बिन्दु-

विद्युत मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय मिशन शुरू कर रहे हैं ताकि **बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की शीघ्रता से पहचान की जा सके और उन्हें भारत के भीतर और बाहर तैनाती के लिए बड़े पैमाने पर स्वदेशी रूप से विकसित किया जा सके।**

- **उद्देश्य:** उन्नत और उच्च प्रभाव अनुसंधान मिशन' (माहिर) **का उद्देश्य बिजली क्षेत्र में नवीनतम और उभरती** प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी अनुसंधान, **विकास और प्रदर्शन को सुविधा प्रदान करना है। मिशन भविष्य के आर्थिक विकास के लिए मुख्य ईंधन के रूप में उनका लाभ उठाना चाहता है और इस प्रकार भारत को दुनिया का एक** विनिर्माण केंद्र बनाना चाहता है।
- **वित्त पोषण:मिशन को दो मंत्रालयों के** तहत ऊर्जा मंत्रालय, **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय संसाधनों को पूल करके वित्त पोषित किया जाएगा।** किसी भी अतिरिक्त धन की आवश्यकता भारत सरकार के बजटीय संसाधनों से जुटाई जाएगी।
- **अवधि:** मिशन को 2023-24 से 2027-28 **तक पांच साल की प्रारंभिक अवधि के लिए योजनाबद्ध किया गया है।**

अनुसंधान के लिए चिन्हित क्षेत्र-

शुरुआत में, अनुसंधान के लिए निम्नलिखित आठ क्षेत्रों की पहचान की गई है:

1. लिथियम-आयनस्टोरेज बैटरी के **विकल्प**
2. **भारतीयखाना पकाने के तरीकों के अनुरूप** इलेक्ट्रिक कुकर / पैन को संशोधित करना
3. गतिशीलताके लिए ग्रीन हाइड्रोजन (उच्च दक्षता ईंधन सेल)
4. कार्बनअवशोषण
5. भू-तापीयऊर्जा
6. ठोसअवस्था प्रशीतन
7. ईवीबैटरी के लिए नैनो तकनीक
8. स्वदेशी सीआरजीओ तकनीक

मिशन की संरचना-

- मिशन की दो स्तरीय संरचना होगी – **एक तकनीकी कार्यक्षेत्र समिति और एक शीर्ष समिति।**

तकनीकी स्कोपिंग समिति:-

- **केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली** टेक्निकल स्कोपिंग कमेटी (टीएससी) विश्व स्तर पर अनुसंधान के चल रहे और उभरते क्षेत्रों का सर्वेक्षण और पहचान करेगी और शीर्ष समिति को सिफारिशें देगी।

- टीएससी उन संभावित तकनीकों की पहचान करेगी जिन पर मिशन के तहत विकास के लिए विचार किया जा सकता है।
- टीएससी विद्युत क्षेत्र के भविष्य के लिए प्रौद्योगिकी की प्रासंगिकता को सामने लाएगी और प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास के तकनीकी-आर्थिक लाभ को उचित ठहराएगा और प्रौद्योगिकी के लिए बाजार निर्माण के लिए एक रोडमैप तैयार करेगी।
- वह अंतिम उत्पाद से वांछित विनिर्देशों की एक विस्तृत श्रृंखला भी प्रदान करेगी। साथ ही, टीएससी द्वारा अनुमोदित अनुसंधान परियोजनाओं की आवधिक निगरानी भी की जाएगी।

शीर्ष समिति:-

- **केंद्रीय विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति,** अनुसंधान प्रस्तावों को मंजूरी देगी और अनुसंधान की प्रगति की निगरानी करेगी।
- मिशन के तहत विकसित की जाने वाली तकनीक/उत्पाद पर शीर्ष समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जाएगा। सभी अनुसंधान प्रस्तावों/परियोजनाओं का अंतिम अनुमोदन शीर्ष समिति द्वारा किया जाएगा।
- यदि टीएससी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सिफारिश करती है, तो उसे सहयोगी देश के साथ चर्चा के लिए शीर्ष समिति द्वारा भी अपनाया जाएगा।
- किसी भी सहयोग की स्वीकृति, विकसित की जाने वाली तकनीक और सहयोगी देश के साथ किए जाने वाले समझौते का निर्णय शीर्ष समिति द्वारा लिया जाएगा।
- यह विकसित की जाने वाली प्रौद्योगिकी और उत्पादों पर विचार-विमर्श करेगा और अनुसंधान प्रस्तावों को मंजूरी देगा।

मिशन का महत्व-

- यह मिशन भारतीय स्टार्ट-अप द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों की पायलट परियोजनाओं को भी वित्तपोषित करेगा तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के माध्यम से उनके व्यावसायीकरण की सुविधा प्रदान करेगा।
- मिशन उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान करके और उनका कार्यान्वयन करके, भारत को दुनिया के एक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करेगा।

स्रोत:पीआईबी

Rajiv Pandey

Yojna IAS
योजना है तो सम्भव है
yojnaias.com

राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक

सिलेबस: जीएस 2 /स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा

संदर्भ-

- विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस (7 जून) के अवसर पर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 5 वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (एसएफएसआई) जारी किया।

राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (SFSI)

पृष्ठभूमि-

- इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 2018-19 में शुरू किया था।

उद्देश्य:-

- एसएफएसआई का उद्देश्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और पूरे देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में सकारात्मक बदलाव को उत्प्रेरित करना है।

कार्यप्रणाली:

- सूचकांक खाद्य सुरक्षा के छह अलग-अलग पहलुओं में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।–

1. मानव संसाधन एवं संस्थागत डाटा (कुल – 18%)
2. अनुपालन (Compliance) (कुल-28%)
3. खाद्य परीक्षण– अवसंरचना एवं निगरानी (कुल – 17%)
4. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण (कुल – 8%)
5. उपभोक्ता सशक्तीकरण (कुल- 19%)
6. राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सुधार (10%)

वर्ष 2022-23 के लिए, निम्नलिखित टॉपर्स हैं –

- बड़े राज्यों में, केरल ने शीर्ष रैंकिंग हासिल की, उसके बाद पंजाब और तमिलनाडु का स्थान है।
- छोटे राज्यों में गोवा ने शीर्ष पर रहा और मणिपुर तथा सिक्किम क्रमशः दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहे।
- केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ ने क्रमशःपहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया।

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस-

- हर साल 7 जून के दिन विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के बारे में खाद्य उत्पादक, उपभोक्ता और सरकार को जागरूक करना है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) संयुक्त संगठनों के सहयोग से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने के लिए मिलकर काम करते हैं।
- विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को मनाने के लिए हर वर्ष एक थीम तय की जाती है। इस वर्ष यानी 2023 की थीम तय की गई है "खाना मानक जीवन बचाते हैं' (food standard saves life)." इस थीम का उद्देश्य खाने के लिए तय मानकों के महत्व को बताना है।

पृष्ठभूमि:

- 2016 में कोडेक्स एलेमेंट्रिस कमीशन ने संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के भीतर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की घोषणा करने का प्रस्ताव रखा।
- 20 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में घोषित करने के लिए संकल्प 73/250 को अपनाया ।

कोडेक्स एलेमेंट्रिस कमीशन के विषय में:

- यह आयोग वर्ष 1963 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक अंतर-सरकारी निकाय है
- इसकी बैठक FAO के मुख्यालय (रोम) में आयोजित होती है।
- इसे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा और खाद्य व्यापार में उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिये स्थापित किया गया था।
- इसका नियमित सत्र जिनेवा और रोम के बीच बारी-बारी से एक वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है।
- वर्तमान में इस कमीशन के कुल 189 (188 देश और यूरोपीय संघ) सदस्य हैं।
- भारत 1964 में कमीशन का सदस्य है।
- तिमोर-लेस्त 2018 में इसमें शामिल होने वाला नवीनतम देश है।

स्रोत: PIB

Rajiv Pandey